

सं/श.श.प.क.प.  
Oin  
22/9/17

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

कमांक- 1516/1123/2017/20-3  
प्रति,

भोपाल, दि० २२/९/२०१७

निदेशक

महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान,  
भोपाल।

विषय:- महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल के अन्तर्गत व्यावसायिक ज्योतिर्विज्ञान, व्यावहारिक वास्तुशास्त्र एवं पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड) में एक वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति वावत्।

म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दि० ११ मई, २००७ में प्रकाशित एवं दि० १६ अगस्त, २००८ से प्रभावशील महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान अधिनियम, २००७ की धारा-४ में निहित प्रयोजनों के लिए धारा-५ के अन्तर्गत संस्थान को विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके तहत महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान को व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान (ज्योतिष), व्यावहारिक वास्तुशास्त्र एवं पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड) में एक वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
22/9/17  
(प्रमोद सिंह)  
उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० कमांक- 1517/1123/2017/20-3  
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दि० २२/९/२०१७

- (१) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
- (२) प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
- (३) समस्त निज सचिव, मान०मंत्री/राज्य मंत्री, म०प्र०शासन, भोपाल।
- (४) निज सचिव, प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (५) समस्त विभागाध्यक्ष, म०प्र० भोपाल।
- (६) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।

//2//

- (7) समस्त कुलपति, विश्वविद्यालय.....म0प्र0
- (8) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
- (9) समस्त संभागायुक्त, म0प्र0
- (10) समस्त कलेक्टर्स, म0प्र0
- (11) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म0प्र0
- (12) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
- (13) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- (14) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
22/9/17

उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Website पर प्रसारित करें।  
श्रीमती नमिता  
  
22/9/17